

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, तार प्रदेश

(फार्म - अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक: 23 :: अगस्तः: 2011

आदेश उ0प्र0 वैट नियमावली 2008 के नियम 40 (17) के अन्तर्गत

उ0प्र0 वैट नियमावली-2008 के नियम-40 के उप नियम-(17) के अन्तर्गत प्रदा अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य कर विभाग की शासकीय वेबसाइट से फार्म-XXI (ट्रांसपोर्ट मेमो) डाउन लोड करने के लिए एतद्वारा निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

- (1) प्रत्येक व्यापारी, जो वाणिज्य कर विभाग की शासकीय वेबसाइट से फार्म-XXI डाउन लोड करना चाहता है, को इस हेतु अपना User Registration करते हुए Password प्राप्त करना होगा ।
- (2) User Registration करने के लिए व्यापारी को इस हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र में ऑन लाइन आवेदन करना होगा एवं तत्पश्चात प्रार्थना पत्र का एक प्रिन्ट आउट लेकर उसे हस्ताक्षरित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । प्रार्थना पत्र उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायगा जो नियम-32 के उप नियम (6) के अन्तर्गत पंजीयन प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हो ।
- (3) प्रार्थना पत्र का हस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट प्राप्त होने पर करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अभिलेखों से सत्यापन करते हुए इसे अगले दिन एडमिनिस्ट्रेटर को भेज दिया जायगा जो उसी दिन व्यापारी को फार्म-XXI डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर अधिकृत कर देंगे । एडमिनिस्ट्रेटर के उपरोक्तानुसार व्यापारी को अधिकृत किए जाने पर सर्वर से Password स्वतः सृजित होकर व्यापारी द्वारा दिये गये ई-मेल पते पर चला जायगा ।
- (4) व्यापारी उक्त Password को वेबसाइट पर निर्धारित प्रक्रिया से स्वेच्छा से बदल सकेगा । सुरक्षा कारणों से निर्देशित किये जाने पर व्यापारी को अपना Password अनिवार्य रूप से बदलना होगा ।
- (5) यदि कोई व्यापारी यह आदेश जारी होने के पूर्व से वेबसाइट से फार्म-38 डाउन लोड कर रहा है, तो उसे फार्म-XXI डाउन लोड करने हेतु नया Password प्राप्त करना आवश्यक न होगा । ऐसी स्थिति में फार्म-38 हेतु पूर्व में प्राप्त Password ही फार्म-XXI के लिए भी लागू होगा परन्तु फार्म-XXI डाउन लोड करने के पूर्व व्यापारी को वेबसाइट पर उपलब्ध पूर्वोक्त प्रार्थना पत्र में उन विज्ञापित वस्तुओं का विवरण घोषित करना होगा जिनके लिए वह फार्म-XXI डाउन लोड करना चाहता है ।
- (6) फार्म-XXI इसके समस्त कालमों का विवरण भर कर ही डाउन लोड किया जा सकेगा । यह समस्त विवरण विक्रेता / कन्साइनर व्यापारी द्वारा भरे जायेंगे तथा फार्म-XXI डाउन लोड करने के पश्चात वाहन प्रभारी / परिवहनकर्ता को इसका एक प्रिन्ट आउट प्राप्त करा दिया जायगा । वाहन प्रभारी / परिवहनकर्ता को माल के परिवहन के समय यह प्रिन्ट आउट साथ रखना होगा ।
- (7) माल की कन्साइनी को डिलीवरी देने के साथ ही परिवहनकर्ता / वाहन प्रभारी द्वारा माल के गन्तव्य पर पहुँचने का समय अंकित करते हुए फार्म कन्साइनी को प्राप्त करा दिया जायगा । माल के क्रेता / कन्साइनी द्वारा यह फार्म उपनियम (10) के प्राविधानों के अनुरूप संगत वर्ष की अन्तिम कर निर्धारण की कार्यवाही सम्पन्न हो जाने तक सुरक्षित रखा जायगा ।
- (8) वेबसाइट से फार्म-XXI डाउनलोड करने पर व्यापारी को कोई शुल्क देय नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में उप नियम (3) के प्राविधान लागू नहीं होंगे ।

(9) वेबसाइट से डाउनलोड किये गये फार्म-XXI के सम्बन्ध में व्यापारी को उप नियम (8) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अलग से कोई विवरण रखना आवश्यक नहीं होगा परन्तु प्रत्येक माह के अन्त में माह के दौरान डाउनलोड किए गये फार्मों का विवरण वेबसाइट से डाउनलोड करके हार्ड कापी के रूप में सुरक्षित रखना होगा।

(10) यह व्यवस्था दि0 30-09-2011 तक वैकल्पिक रहेगी अर्थात् इस अवधि में व्यापारी वेबसाइट से फार्म-XXI डाउनलोड करने के बजाय कर निर्धारण अधिकारी से फार्म-XXI प्राप्त करके अथवा शासन से निर्धारित किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत भी विज्ञापित माल का परिवहन कर सकेगा।

(चन्द्रभानु)

कमिशनर, वाणिज्य कर

आर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, आर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना आर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष / निबन्धक आर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर 30प्र०।
4. समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, 30प्र०।
5. समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0 नु0शा0/अपील)वाणिज्य कर 30प्र०।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर(वि0 नु0शा0/कार्यपालक)/ अपील/उच्च न्यायालय कार्य / सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर 30प्र०।
7. समस्त डिप्टी कमिशनर/ असि0कमि0/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, 30प्र०।
8. प्रबन्धक , इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
9. महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकर 171-ए,अशोक नगर, इलाहाबाद।
10. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, आर प्रदेश।
11. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिसआफ दए0जी0 फिट 11, सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
12. विकास आयुक्त,नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
13. अध्यक्ष, आर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड,गणेश गंज, लखनऊ।
14. अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु,सी-15, मालएवेन्यू, लखनऊ।
15. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ।
16. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 , सिविल लाइन्स, कानपुर।
17. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17,गोमती नगर, लखनऊ
18. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 1-ए, ला-प्लास, शाहनजाफ रोड,लखनऊ।
19. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग, रोड, लखनऊ।
20. आल इडिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 , साइट सं0-3, मेरठ रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।

21. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंडोएसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
22. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यो) के माध्यम से।
23. उत्तर प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
24. श्री नानक चन्द्र अग्रवाल, एडवोकेट, महासचिव, तार प्रदेश टैक्स बार एसो0 मथुरा।
25. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर0-15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
26. श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशनस , RDC-51 राजनगर, गाजियाबाद।
27. श्री मदनमोहन भारतीय, एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणउ0प्र0शासन , 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर
28. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
29. प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15,टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
30. श्री अरविन्द गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी0 टैक्स बार एसो0 235,सीताराम आजमगढ़।
31. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी।
32. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी (FTTA) 77/3 ए एन0के0जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर।
33. श्री नेकी राम गार्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
34. श्री ब्रित चावला, महासचिव(पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेंडरेशन (रजि0), पुलदाल मंडी , सहारनपुर
35. श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
36. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, तार प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर।
37. इन्डियन इंड0एसो0 , 159/ए-8,15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
38. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू०पी0(रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
39. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस , आगरा।
40. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी,उद्योग नगर, कानपुर।
41. श्री अनिल कुमार बंसल, दि0 यू०पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
42. श्री दिनेश अरोरा, 30प्र0 वनस्पति प्रोड्युसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर।
43. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, 30प्र0 टेट व्यापार एसो0 565/566,राजेन्द्र नगर ,लखनऊ।
44. श्री अरुण कुमारअवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ।
45. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
46. श्री गोपाल अग्रवाल राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडियाउद्योग व्यापारप्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।
47. श्री दिनेश चन्द्र, उपाध्यक्ष, 30प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड,अमीनाबाद, लखनऊ।
48. अध्यक्ष, आई0 ई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड,फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ।

49. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ।
50. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस।
51. समस्त अनुभाग / अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय-लखनऊ।
52. सचलदल अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियो अतिरिक्त।

(एम0 के0 श्रीवास्तव)

ज्वाइण्ट कमिश्नर (फार्म), वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ